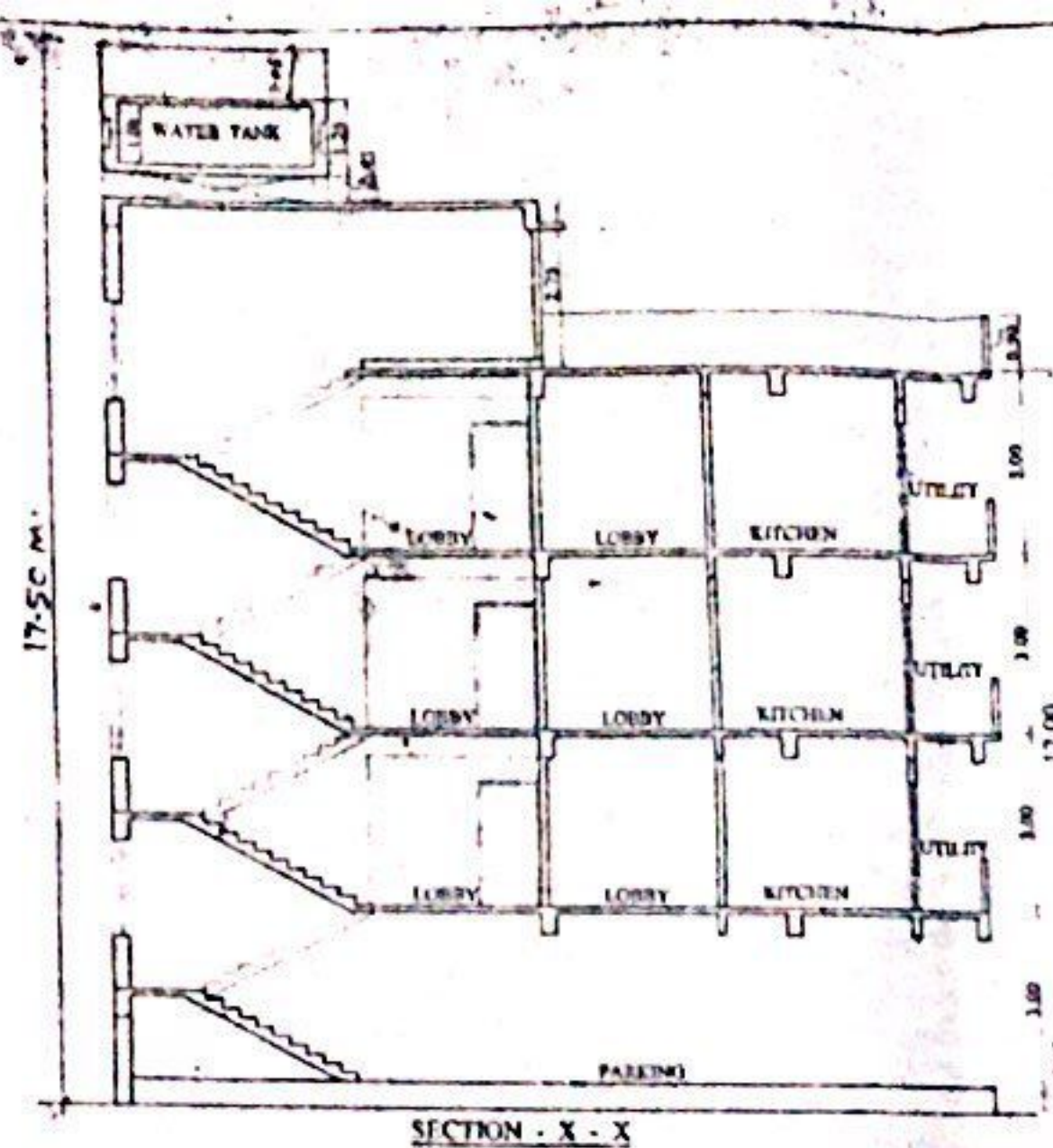
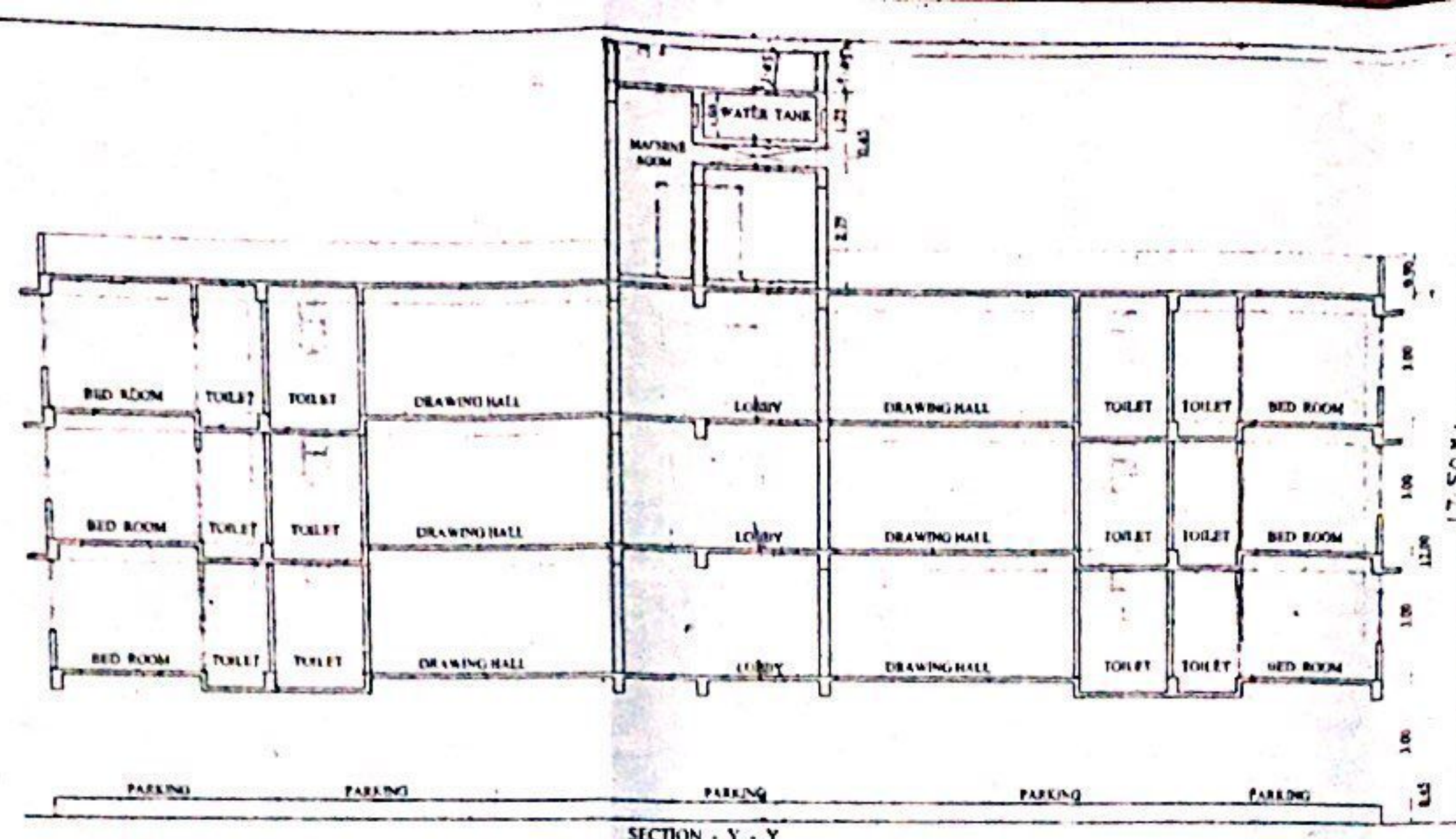




SECTION - X - X



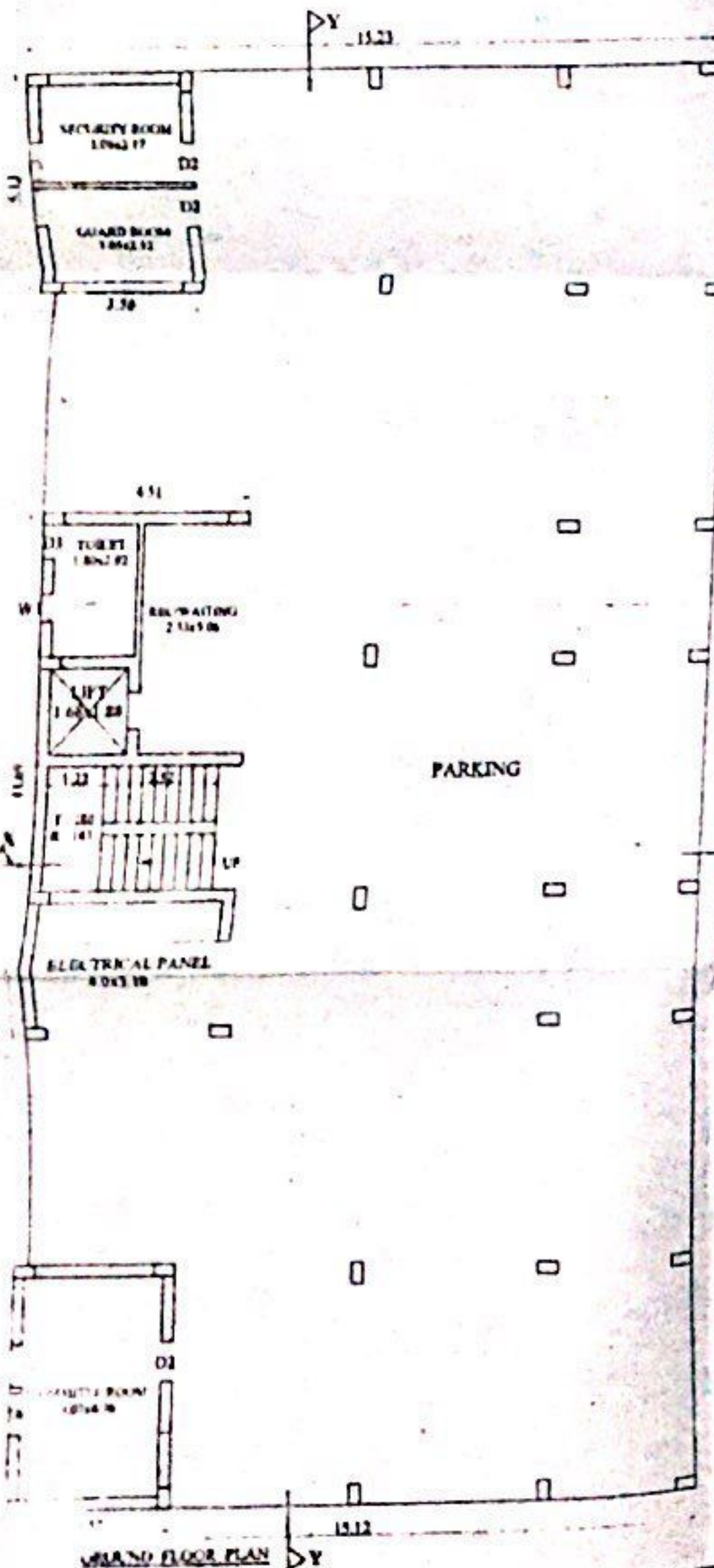
SECTION - Y - Y

WATER TANK CALCULATION :-
 TOTAL NOS. OF FLAT = 12 FLATS
 PERSON ASSUMED @ 3 PERSON / FLAT = 36 PERSONS
 WATER REQUIRED @ 135 LTR / DAY / HEAD @ 135 = 4860 LTR = 4.86 MP
 PROVIDED WATER TANK (1.25 x 2.69 x 1.01) = 3.34 MP

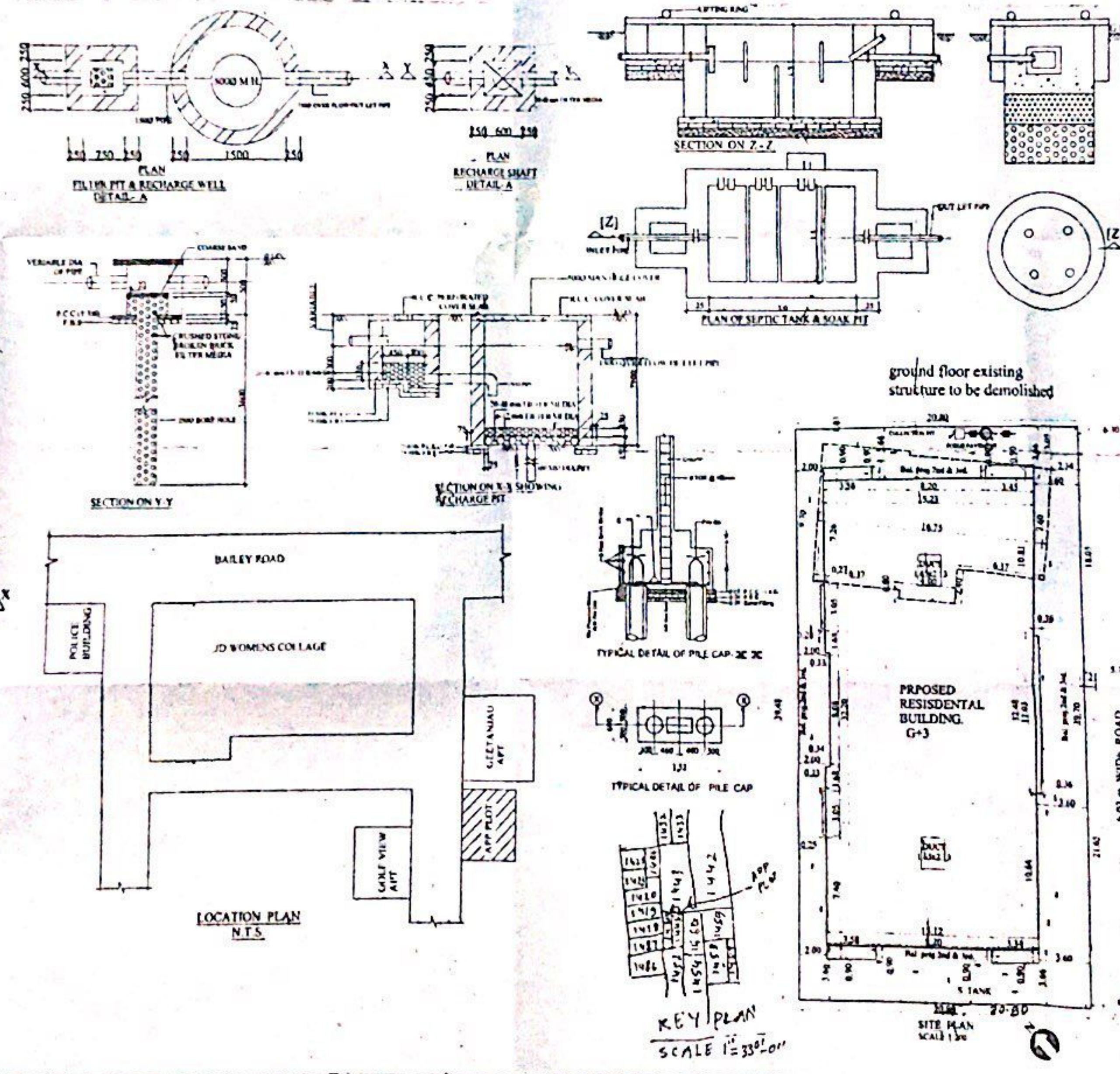
SEPTIC TANK CALCULATION :-
 TOTAL NO. OF PERSON = 36 PERSONS
 VOLUME REQUIRED @ 0.085 M³ / DAY / HEAD
 36 x 0.085 = 3.06 MP
 TOTAL VOLUME REQUIRED = 4 MP
 PROVIDED SEPTIC TANK SIZE (1.5 x 3.0 x 1.5) = 6.75 MP

PARKING CALCULATION :-
 TOTAL PARKING REQUIRED = 25% OF BUILTUP AREA
 TOTAL BU AREA = 1501.57 MP
 TOTAL PARKING AREA REQ. = 375.39 MP
 SAY = 376 MP PROVIDED PARKING AREA = 400.95 MP

AREA CALCULATION
 TOTAL PLOT AREA = 1922.82 MP
 AS MEASUREMENT = 823.47 MP
 GROUND FLOOR BU AREA = 89.80 MP
 1ST FLOOR BU AREA = 447.87 MP
 2ND FLOOR BU AREA = 481.95 MP
 3RD FLOOR BU AREA = 481.95 MP
 TOTAL = 1501.57 MP
 TOTAL BU AREA = 1501.57 MP
 F.A.R. = 1.82
 COVERED = 58.52 %
 CHART FOR FEES CALCULATION
 TOTAL BU AREA = 1501.57 MP
 COVERED GROUND PARKING AREA = 400.95 MP
 TOTAL COVERED AREA = 1902.52 MP



GRAND FLOOR PLAN



KEY PLAN
 SCALE 1:330

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR
 SHRI AKHIL CHANDRA SAHAY & ARVIND SAHAY BOTH
 SONS OF LATE PANDEY ANJANI KISHORE SAHAY
 OVER - PLOT NO - 144 (P) (144A) & 144 (P)
 KHATA NO - 45 & 54, THANA NO - 9, TAUKI NO - 5609,
 MAUZA - SHEKHUPURA,
 SITUATED AT - RAJBANSI NAGAR - PATNA

ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SCALE
 1:100
 1:200

NORTH

SHEET NO - 01

Akhil Chandra
 Sahay
 Arvind Sahay

SIGNATURE OF OWNERS

Signature of Architect/Engineer/Draftsman
 SIGN OF REGISTERED ARCHITECT/ENGINEER/DRAFTSMAN

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
 PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING
 Section of Plot Attached under Sec - 14,
 315, 316 & 317 of the Municipal Act
 by the Municipal Corporation, Patna

26.5.16
 DATION OF PLAN

Signature of Officer
 उपा-निदेशक
 शहरी योजना
 पटना नगर निगम



पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, ब्लॉक-सी, द्वितीय तल्ला, पटना-800001

पत्र संख्या- 5883 /प0न0नि0

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री अखिल चन्द्रा एवं अन्य,
H.No-222 B, अनुसुईया अपार्टमेन्ट के सामने,
जे.डी.विमेन्स. कॉलेज के बगल में,
शास्त्रीनगर, पटना, बिहार।

पटना, दिनांक-...28/08/2016 ई0

विषय:- प्लान केस सं०-PRN/Shekhpura/G+3/15/2015 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०-PRN/Shekhpura/G+3/15/2015 दिनांक-30.09.2015 के संदर्भ में श्री अखिल चन्द्रा एवं अन्य, शास्त्रीनगर, पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं०-1443 (अंश), 1444 (अंश) एवं 1445 (अंश), खाता सं०-45 एवं 54, थाना-शास्त्रीनगर, थाना सं०-09, मौजा-शेखपुरा, तौजी संख्या-5609, शास्त्रीनगर, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 400.95 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 06.05 मी० से 06.30 मीटर (औसतन 06.547 मीटर) चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन

अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 00.00 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का सत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। इसलिए आवेदक ने अपने दस्तावेजों में निजी अमीन द्वारा तैयार प्रतिवेदन संलग्न किया है। इसलिए भविष्य में निगम को अमीन की नियमित सेवा उपलब्ध होने पर वर्तमान संलग्न अमीन प्रतिवेदन के सत्यता की जाँच कराने पर किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता पाये जाने की स्थिति में आवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा स्वीकृत नक्शा स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजु
5/12/2016
उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

ज्ञापांक- 5883 /पटना, दिनांक- 28/10/2016 ई०।

प्रतिलिपि:- योजना की अनुमोदित प्रति के साथ विकास योजना/आयोजना प्राधिकार या किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ नगर निगमों/नगर परिषद्/नगर पंचायतों/महानगर क्षेत्र को सूचनार्थ अग्रसारित।

उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

ज्ञापांक- 5883 /पटना, दिनांक- 28/10/2016 ई०।

प्रतिलिपि:- नगर एवं क्षेत्रीय निवेशन संगठन, बिहार, पटना को अग्रसारित।

उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।